राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :— 00660/2023

अरूण कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
4. भाल सिंह बेनीवाल, पशुधन सहायक के पद पर उप केंद्र मूल जी की ढ़ाणी, बाड़मेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री विरेन्द्र गोदारा, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर वेटेरिनरी अस्पताल चैनपुरा छोटा, चुरू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2022 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उप केंद्र चुली, सिरोही में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 600 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 4 को आदेश दिनांक 15.01.2023 (अनुलग्नक—2) द्वारा रिक्त पद दिखाकर पदस्थापित किया गया है जबकि अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी अपने पद पर पहले से उस स्थान पर कार्यरत है तथा अभी तक अपीलार्थी को

कार्यमुक्त नहीं किया गया है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम में अपीलार्थी का नाम अरूण शर्मा है जबकि अपीलार्थी का वास्तविक नाम अरूण कुमार है। अपीलार्थी अविवाहित है तथा अपीलार्थी की माता की मृत्यु हो चुकी है अपीलार्थी के पिताजी है जो कि वृद्धावस्था में है जिनकी जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। अतः इससे स्पष्ट होता है अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित (accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है। उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 27.12.2022 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 15.01.2023 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर वेटेरिनरी अस्पताल चैनपुरा छोटा, चुरू में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पशुधन सहायक के पद पर वेटेरिनरी अस्पताल चैनपुरा छोटा, चुरू में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

5 अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such ha rdship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

6 अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू. एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

7 जहां तक अपीलार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिए जाने का प्रश्न है हमारे विनम्रमत में आलोच्य आदेश राज्य हित में जारी किया जाना उल्लेखित है इसप्रकार अपीलार्थी को यात्रा भत्ता अनुज्ञेय प्रतीत होता है अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

8 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा) **सदस्य**	**(शुचि शर्मा)** **सदस्य**